न्यायालय सहायक कलक्टर,निम्बाहेड़ा
कंचन बनाम कला
प्रकरण संख्या – 158/2024 वाद
GCMS No. – 2024/547

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 158/2024 वाद
GCMS No. – 2024/547

1. कंचन पुत्री मेघा रेगर आयु वयस्क निवारी गुडाखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ हाल मुकाम बम्बोरी तह० छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज०

– वादीया

वनाम

1. कला पत्नि मेघा रेगर आयु वयस्क निवासी गुडाखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. कैलाशी पुत्री मेघा रेगर आयु वयस्क निवासी गुडाखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. केसर पुत्री मेघा रेगर आयु वयस्क निवासी गुडाखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. भगुडी पुत्री मेघा रेगर आयु वयस्क निवासी गुडाखेडा तह० तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. राधेश्याम पुत्र मगना रेगर आयु वयस्क निवासी गुडाखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री विशाल कुमावत – अधिवक्ता वादिया
2– श्री महावीर जैन – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5

::निर्णय:: दिनांक :– 30.08.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि [illegible] एक वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] निवेदन किया वादि[illegible] प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य [illegible] पुश्तैनी पैतृक कृषि आरा[illegible] वांके ग्राम बरवाडा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

राज० के खाता नं0 128 की नवीन आराजी नं0 448 रकबा 0.3800 हेक्टेयर लगानी 4 रुपये 56 पैसा, आराजी नं0 451 रकबा 0.4800 हेक्टेयर लगानी 5 रुपये 76 पैसा, आराजी नं0 456 रकबा 0.3600 हेक्टेयर लगानी 9 रुपये 18 पैसा, आराजी नं0 476 रकबा 1.3000 हेक्टेयर लगान 2 रुपये 60 पैसा, आराजी नं0 480 रकबा 0.2300 हेक्टेयर लगानी 46 पैसा, कुल किता 5 कुल रकबा 2.7500 हेक्टेयर कुल लगानी 22 रुपये 56 पैसा, स्थित हैं। इसी प्रकार वाके ग्राम गुढाखेडा पटवार हल्का गुढाखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 224 की नवीन आराजी नं0 21 रकबा 0.3800 हेक्टेयर लगानी 15 रुपये 96 पैसा स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात हैं जो वादिया के पिता मेघा जी रेगर के जमाने से चली आ रही हैं, मेघा जी का देहान्त हो गया है मेघा जी के देहानत के बाद मेघा जी के विधिक वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते समय वादग्रस्त आराजियात में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से वादिया का नाम कंचन के बजाए सुन्दर सहवन से दर्ज कर दिया है जबकि वादिया के सभी पहचान के आवश्यक दस्तावेजात में वादिया का नाम कंचन दर्ज चला आ रहा हैं, वादिया ने प्रतिवादीगणो को वादग्रस्त आराजियात में वादिया का नाम सुन्दर के बजाए कंचन घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादिया का नाम सुन्दर के बजाए कंचन घौषित करा दर्ज कराने से इंकार हो गये हैं। इसलिए वादिया वादग्रस्त आराजियात में वादिया का नाम सुन्दर के बजाए कंचन घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं। वाद कारण दिनांक 15/07/2024 को जब वादिया ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात मे वादिया का नाम सुन्दर के बजाए कंचन घौषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल करने लगे व नाम पर कराने से इंकार हो गये से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश हैं।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 से 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महावीर जैन ने इकवालीय जवावदावा मय अधिकार पत्र के प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

4. वहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादिया ने राजीनामा तस्दीक कर [illegible] वली किया गया। पत्रावली में वादिया के संलग्न दस्तावेज [illegible] जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, की प्रति पेश कि जिसमे [illegible] घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर,निम्बाहेड़ा
कंचन बनाम कला
प्रकरण संख्या - 158/2024 वाद
GCMS No. – 2024/547

घोषणा है कि

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बरवाडा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं0 448 रकबा 0.3800 हेक्टेयर, आराजी नं0 451 रकबा 0.4800 हेक्टेयर, आराजी नं0 456 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, आराजी नं0 476 रकबा 1.3000 हेक्टेयर, आराजी नं0 480 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 2.7500 हेक्टेयर भूमि तथा ग्राम गुढाखेडा पटवार हल्का गुढाखेडा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं0 21 रकबा 0.3800 हेक्टेयर स्थित भूमि में वादिया सुन्दर पुत्री मेघा रेगर सा.देह खातेदार के बजाए कंचन पुत्री मेघा रेगर सा.देह खातेदार के नाम खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:59:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner